न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 01/2024 (मूल अपील सं0 02/2020)
3. उनवान : श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व. मांगू पत्नी श्री श्यामलाल, निवासी भादरपुरा हाल सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. किशन लाल उर्फ छोटू पुत्र मांगू निवासी–भादरपुरा तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर।
2. प्रेमचन्द पुत्र मांगू कुम्हार, निवासी–भादरपुरा तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।
3. श्रीमती लाली पुत्री मांगू पत्नी बंशीलाल कुम्हार निवासी –भादरपुरा। हाल–श्रीराम नगर, जी.बी. मॉर्डन स्कूल के सामने, फुलेरा, जिला जयपरु।
4. तहसीलदार, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24–04–2024
5. अधिवक्तागणों का नाम अ) अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) एल.आर. एक्ट एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी तथा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय की अपील संख्या 02/2020 बउनवानी गीता देवी बनाम किशन लाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 के सन्दर्भ में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपने स्वर्गीय पिता मांगू पुत्र बोदू के विरासत के नामान्तकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अपना सजरा खानदान का अंकन किया गया था। साथ ही अपील मीमो के साथ दस्तावेज सूची में मृतक मांगू पुत्र बोदू कुम्हार का सजरा वार्ड पार्षद से जारीशुदा पेश किया साथ ही 50/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मांगू की वंशावली सजरा बात शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक के प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया एवं विवादित भूमि की वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की। जमाबन्दी में मृतक मांगू के स्वर्गीय भाई रामचन्द्र की फौत पर रामचन्द के सभी वासिरान पुत्रियों पुत्रों व पत्नी के नाम फौती नामान्तकरण की जमाबन्दी पेश की। अपीलान्ट स्वर्गीय मांगू की पुत्री है, इस बाबत स्वयं का नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र एवं वार्ड पार्षद का सजरा प्रमाण पत्र वरवक्त पेश किया गया था जिसका हवाला निर्णय में नहीं दिया गया ना ही उस पर विवेचन कर न्याय निर्णयन किया गया। कानूनी नजीरे किस प्रकार से चस्पा नहीं होती। कानूनी नजीरो का विस्तृत विवेचन नही किया गया। अपीलान्ट स्वर्गीय मांगू की जायन्दा पुत्री है, इस बाबत प्रार्थीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। इस प्रमाण पत्र में प्रार्थीया के पिता का नाम मांगू व माता का नाम लच्छी देवी पता भादरपुरा तेज्या का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर प्रमाणित हैं। साथ ही अपीलान्ट का आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड (PAN CARD NO. MVJPK2509K) प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें उसका नाम गीता देवी कुमावत पुत्री मांगू कुम्हार अंकित है, जो यह प्रमाणित करता है कि गीता देवी मांगूराम की पुत्री है एवं प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत तेज्या का बास पंचायत समिति सांभरलेक व अध्यक्ष नगरपालिका मण्डल सांभरलेक का मय नाम, पद नाम हस्ताक्षर मुहर से जारी पेश किया गया है, जिस पर हल्का पटवारी तेज्या का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर की जांच रिपोर्ट मय हस्ताक्षर मय मोहर के जारी किया हुआ है। साथ ही स्वयं

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपीलान्ट गीता देवी का 50/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र बाबत स्वयं के मांगू की पुत्री होने व सजरा वंशावली बाबत पेश है तथा गीता देवी के पति श्याम लाल कुमावत निवासी छोटा बाजार सांभरलेक का 50/–रूपये का शपथ पत्र पेश किया गया है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30/11/2022 के तहत अपीलान्ट की अपील केवल मात्र इस आधार पर खारिज फरमा दी गई कि अपीलार्थी ने मृतक की वारिस पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया है जबकि अपील प्रस्तुति के समय वार्ड पार्षद का सजरा प्रमाण पत्र एवं स्वयं का नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र पेश किया गया था। जिस पर न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यो के संबंध में निर्णय के समय विचार नहीं किया एवं न ही न्यायालय ने विवेचन किया। प्रार्थीया स्वयं स्वर्गीय मांगू की पुत्री है, जिस बाबत प्रार्थीया ने स्वयं का शपथ पत्र अपने पिता का शपथ पत्र, स्वयं का पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत तेज्या का बास व अध्यक्ष नगरपालिका मण्डल सांभरलेक की साक्ष्य तथा पटवारी हल्का तेज्या का बास की जांच रिपोर्ट पेश किए हैं जो यह प्रमाणित करते है कि प्रार्थीया मांगू की पुत्री/वारिस हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निर्णय दिनांक 30/11/2022 को अपास्त कर पुनर्विलोकन किया जाये।

प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये गये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पूर्व में मूल अपील में रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति पर एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। अतः अप्रार्थीगण को तलब किया जाना उचित नहीं पाते है। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 30/11/2022 न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें निर्णय का आधार अपील विलम्ब से पेश करना तथा अपीलार्थी के मृतक की वारिस/पुत्री होने बाबत कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया था। दिनांक 30/1/22 के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 6/1/23 को पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) एल० आर०एक्ट एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा पुर्नविलोकन हेतु अपीलार्थी के मृतक मांगू पुत्र बोदू की पुत्री होने के साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं–

नामान्तकरण पंजिका प्रमाणित प्रति, शपथ पत्र बाबत मृतक मांगू की वंशावली/सजरा, जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम भादरपुरा, पटवार हल्का तेज्या का बास खाता संख्या 84/77 तथा पार्षद वार्ड नं 13 न0पा0स0 सांभरलेक द्वारा जारी सिजरा वंशावली मांगू पुत्र बोदू कुम्हार प्रस्तुत किए थे। पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के साथ गीता देवी का अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र, गीता देवी पैन कार्ड की प्रति, श्याम लाल कुम्हार का शपथ पत्र, गीता देवी का शपथ पत्र, पटवारी फर्द मौका की प्रमाणित प्रति, अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र फार्म की छायाप्रति दस्तावेज प्रस्तुत किए।

आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में पुर्नविलोकन के निम्न आधार है:–

निर्णय में दृष्टिगोचर सारवान त्रुटि प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या यह तथ्य कि " गीता देवी मृतक मांगू की पुत्री है तथा वादभूमि में उसका हक है" पत्रावली में न्यायालय के समक्ष आ चुका था। दिनांक 30.11.2022 के निर्णय में न्यायालय द्वारा मृतक मांगू के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच किए बिना ही निर्णय पारित किया जबकि पीठासीन अधिकारी के पास तहत जांच की शक्तियां थी, तो अपीलार्थी के लिखित बहस के तथ्यो, अपीलार्थी के शपथ पत्र को ध्यान में रखते हुए पीठासीन अधिकारी जांच करवा सकते थे या प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर सकते थे।

अपीलार्थी द्वारा पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के साथ नवीन दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं, उक्त दस्तावेजात अपीलार्थी गीता देवी का मृतक मांगू की पुत्री होने से संबंधित है। विरासत

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

नामान्तकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पटवारी की जांच रिपोर्ट होती है, जिसके आधार पर विरासतन नामांतकरण की कार्यवाही की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 18/1/23 जिसमें मांगू पुत्र बोदू का फौत होना तथा मांगू पुत्र बोदू के वारिसान में गीता देवी का पुत्री होना अंकित किया है। फर्द मौका अनुसार मांगू पुत्र बोदू के दो पुत्र व दो पुत्रियों सहित कुल चार जीवित वारिसान है। श्यामलाल कुम्हार पुत्र भागीरथ मल कुम्हार ने भी अपने शपथ पत्र में गीता देवी को मांगू पुत्र बोदू की पुत्री होना अंकित किया है। वार्ड पार्षद नं0 13 न0पा0म0 सांभरलेक द्वारा मृतक मांगू पुत्र बोदू कुम्हार की वंशावली (सिजरा) में भी गीता को मृतक मांगू की पुत्री अंकित किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र में गीता देवी के पिता का नाम मांगू, माता का नाम लच्छी देवी व पता भादरपुरा, तेज्या का बास, तहसील फुलेरा अंकित है। आयकर पेनकार्ड छायाप्रति व अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदन पत्र छायाप्रति में भी गीता देवी के पिता का नाम मांगू अंकित है। उक्त सभी दस्तावेजात व शपथ पत्र अपील के संबंध में नवीन दस्तावेज व साक्ष्य हैं।

अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है। RRT 2018(1) Balmet & Othes v/s State of Rajasthan में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि " Delay is not fatal when the mutation is illegal"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व निर्णय में सारवान त्रुटि के आधार पर प्रार्थी का पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी का पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर दिनांक 30.11.2022 को पारित निर्णय के संबंध में निर्णय का पुर्नविलोकन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र व नामांतकरण के संबंध में प्रस्तुत अपील में निम्न प्रश्नों/बिन्दुओं का निर्णय किया जाना है:-

1) क्या श्रीमती गीता देवी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है?
2) क्या श्रीमती गीता देवी मृतक मांगू की भूमि में जरिये उत्तराधिकार विरासतन नामान्तरकरण खुलवाने का अधिकार रखती है?
3) क्या ग्राम पंचायत तेज्या का बास द्वारा दिनांक 19.05.1992 द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 224 निरस्त योग्य है।

हस्तगत प्रकरण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.01.2020 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय जयपुर में तहसीलदार फुलेरा द्वारा दिनांक 19.05.1992 को स्वीकृत नामान्तकरण आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा नामान्तकरण आदेश की जानकारी होना दिनांक 16.01.2020 को होना अंकित किया गया। इस प्रकार दिनांक 19.05.1992 के आदेश के विरूद्व लगभग 28 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई, 28 वर्षो की इस देरी को क्षमा करने हेतु अपीलार्थी द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के समक्ष दो परिस्थितिया हैं कि तकनीकी आधार पर 28 वर्ष की देरी के आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाए या अपीलार्थी लगभग 28 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने में की गई देरी को न्यायहित में क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दफा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाए। प्रथम परिस्थिति में प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने पर अपील भी मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज करनी होगी, मगर इससे मुख्य विवाद्यक बिन्दू/अपील में उठाया गया बिन्दू कि मांगू की मृत्यु के पश्चात् गीता देवी के पक्ष में जरिये उत्तराधिकार नामान्तकरण खुलना चाहिए, अनुत्तरित रह जाएगा। जब तक विवाद के मूल कारण का गुणावगुण बरकरार रहेगा तब तक पक्षकारान के बीच वाद/मुकदमा की अन्तहीन श्रृखंला कायम रहेगी। न्याय का सिद्वांत है कि न्याय सरल व ऋजु होना चाहिए, किसी भी वाद/प्रार्थना पत्र/अपील को गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के काश्तकार स्वंय कानून की बारीकियों व पेचिदगियों को न तो जानते है, न समझते है। काश्तकार द्वारा अपने अपील में यदि कोई तकनीकी खामी या तकनीकी त्रुटि कर भी दी है तो न्यायालय को उस पर उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए जिससे पक्षकार को उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाए गए मुख्य बिन्दू पर गुणावगुण पर निर्णय दिया जा सके। हस्तगत प्रकरण दिनांक 23.01.2020 को प्रथम अपील के रूप में इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था। यह अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट दोनों के हित में होगा कि अपील में उठाए गए बिन्दू पर गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय पारित किया जाएं। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी की गई, तो इससे उसके वैध अधिकारों का अवसान नहीं हो जाता है। जब राजस्व कार्मिकों ने विरासतन नामान्तकरण तस्दीक करते समय किसी पक्षकार के हितों का लोप किया हो तो ऐसी कार्यवाही व आदेश सर्वथा अवैधानिक अनुचित व शून्य आदेश है, तो उसके खिलाफ कोई मियाद सीमा लागू नहीं होती है। इस बिन्दू पर न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी. 2002(1) पेज सं0 257, आर0आर0टी0 2001(2) पेज सं0 1192, आर0आर0टी0 2008(1) पेज सं0 1406, आर0आर0टी0 2005(2) पेज सं0 1366 के अनुसार दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय न्यायालय को न्यायहित में उदारवादी रवैया अपनाते हुए तकनीकी त्रुटियों को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

विरासत नामान्तकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पटवारी की जांच रिपोर्ट होती है, जिसके आधार पर विरासतन नामांतकरण की कार्यवाही की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 18/1/23 जिसमें मांगू पुत्र बोदू का फौत होना तथा मांगू पुत्र बोदू के वारिसान में गीता देवी का पुत्री होना अंकित किया है। फर्द मौका अनुसार मांगू पुत्र बोदू के दो पुत्र व दो पुत्रियों सहित कुल चार जीवित वारिसान है। श्यामलाल कुम्हार पुत्र भागीरथ मल कुम्हार ने भी अपने शपथ पत्र में गीता देवी को मांगू पुत्र बोदू की पुत्री होना अंकित किया है। वार्ड पार्षद नं0 13 न0पा0म0 सांभरलेक द्वारा मृतक मांगू पुत्र बोदू कुम्हार की वंशावली (सिजरा) में भी गीता को मृतक मांगू की पुत्री अंकित किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र में गीता देवी के पिता का नाम मांगू, माता का नाम लच्छी देवी व पता भादरपुरा, तेज्या का बास, तहसील फुलेरा अंकित है। आयकर पेनकार्ड छायाप्रति व अन्य पिछडा वर्ग आवेदन पत्र छायाप्रति में भी गीता देवी के पिता का नाम मांगू अंकित है। उक्त सभी दस्तावेजात व शपथ पत्रों के आधार पर न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित है कि गीता देवी मृतक मांगू की पुत्री व विधिक वारिसान है।

प्रस्तुत दस्तावेजात से गीता देवी का मांगू पुत्र बोदू की पुत्री होना व विधिक वारिसान होना साबित है।

धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– आसामियो का उत्तराधिकार– "जब आसामी वसीयतनामा किये बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाये, तो उसके भूमि क्षेत्र में निहित उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरण होंगे जिसके कि वह मृत्यु के समय अधीन था।"

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या डायरी नंबर 32601/2018 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य में पारित निर्णय के पैरा सं0 129 के बिन्दू सं0 (i) (ii) एवं (iii) में अंकित किया है कि :–

Resultantly, we answer the reference as under:

(i) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities.

(ii) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December, 2004.

(iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.

मांगू पुत्र बोदू की मृत्यु हो चुकी है एवं उसका विरासतन नामांतकरण सं0 224 दिनांक 19.05.1992 को उसके दो पुत्रों के नाम भरा गया जिसका तात्पर्य है कि मांगू पुत्र बोदू को निर्वसीयती होने के आधार पर उसका विरासतन नामान्तकरण स्वीय विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भरा गया। उक्त नामांतकरण भरते समय मांगू के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच की गई, ऐसा तथ्य पत्रावली पर नहीं है। वर्तमान में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के आधार पर मांगू के चार विधिक वारिसान है जिसमें से मांगू की पुत्री गीता देवी भी विधिक वारिसान के नाते 1/4 हिस्सा की उत्तराधिकारी है। मांगू की दूसरी जीवित पुत्री के हिस्से के संबंध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं होने पर उस पर टिप्पणी/निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय में उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी की हद तक निर्णय किया जाना न्यायोचित समझता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील सं0 02/2020 को साबित होने पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार फुलेरा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 19.05.1992 को अपीलार्थी की हद तक खारिज किया जाता है। अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 2085 रकबा 3.9832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2087 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2088 रकबा 1.6565 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2090 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2091 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2092 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2093 रकबा 1.3657 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा 5.2603 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2100 रकबा 1.0748 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2101 रकबा 0.7081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2104 रकबा 2.2635 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 18.0950 हैक्टेयर वाके ग्राम भादरपुरा, पटवार हल्का तेज्या का बास, भू.अभि.नि. क्षेत्र– काजीपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट किशनलाल उर्फ छोटू पुत्र मांगू तथा प्रेमचंद पुत्र मांगू के नाम दर्ज भूमि में से 1/4–1/4 हिस्सा कम करते हुए अपीलार्थी गीता देवी को 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाए। तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

24/4/24

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।